2

410

1/197/2017

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

कमांक–197/2017
सं0 का/310/1/भाग–छ:/चार

दिनांक 22–09–2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:–कर्मचारियों के शिकायत सम्बन्धी प्रतिवेदन के निपटान के लिए परिवाद शिविर का आयोजन करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:–रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 2017/ई(रिप)।।।/कैम्पस/1 दिनांक 14.09.17

रेलवे बोर्ड का उक्त संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको भेजी जा रही है।

बोर्ड के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर 2017 से कर्मचारी परिवाद निस्तारण शिविर का आयोजन ऐसे स्थान/स्टेशन पर किया जाना है जहाँ कर्मचारियों की संख्या अधिक से अधिक हो। इस सम्बन्ध में सभी मण्डल एवं अतिरिक्त इकाईयों को निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र विभिन्न जगहों पर कैम्प हेतु योजना तैयार कर मुख्यालय को अवगत कराये तथा कर्मचारी परिवाद शिविर का आयोजन 15.10.2017 तक पूर्ण कर लिया जाए।

उक्त सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस आयोजित शिविर में मण्डल के वरि0 मण्डल वित्त प्रबन्धक एवं चिकित्साधिकारी को भी शामिल किया जाय। शिविर के दौरान यह सुनिश्चित किया जाय कि कर्मचारियों को उनके सेवा अभिलेख का अवलोकन कराया गया और इस आशय की पुष्टि स्वरूप कर्मचारियों से हस्ताक्षर सेवा पुस्तिका में कराया जाय तथा शिविर में कर्मचारियों के परिवाद का निस्तारण किया जाय।

चिकित्सा विभाग को कैम्प के योजना के साथ सूचित किया जाय कि परिवाद शिविर में चिकित्सा अधिकारी के द्वारा कर्मचारियों का स्वास्थ्य जाँच भी किया जाना है जिसके लिए आवश्यक व्यवस्था परिवाद शिविर में सुनिश्चित कराए।

उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी मण्डल एवं अतिरिक्त इकाई 25.10.2017 तक अपना रिपोर्ट मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्नक/यथोपरि

(यू0 पी0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

R- 245

भारत सरकार रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

No. 2017/E(Rep.)III/Camps/1 New Delhi, Dt. 14.09.2017

Rly

The General Managers,
All Zonal Railways, PUs,
Metro & DG/RDSO

Sub: Holding of Employees' Grievance Redressal Camps for disposal of their representations.

Railway administrations hold Grievance-Redressal Camps at different levels where the employees are contacted directly in order to know and mitigate their grievances. Moreover, staff can meet officers during inspections and also by way of staff interviews. However, these employee-centric initiatives are not uniform across different Railways.

2. It has, therefore, been decided that beginning 2nd October, 2017, a special drive shall be launched and Employees' Camps held at those work spots where there is large concentration of work force. These camps should be attended by Sr. DPOs and Sr. DFMs besides Medical Officers. The objective of such camps is not only to have direct staff contact but also to show employees their Service Books. It would be aimed at obtaining their grievances and redress them in a time-bound manner. The medical authorities should also hold simultaneous Health Check-up Camps.

3. In this regard, attention is drawn to Para No. 1234 and 1235 of Indian Railway Administration and Finance Code(Revised, 1991)) regarding showing of Service Book to the employees. Scrutiny and verification of Service Records during these camps will help check avoidable discrepancies like non-regularization of absence, wrong fixation of pay, etc., being noticed at the time of superannuation of the employees which often result in delay in payment of their retirement benefits.

4. Board(CRB) has directed that such camps should be held within the month of October, 2017 and a report submitted in the first week of November, 2017.

(Alok Kumar) 19/9/17
Executive Director Estt. (IR)
Railway Board

GM
CPO
PFA
CMD